बजट महत्वपूर्ण

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर

क्रमांक 3178 /संसा/ब–4/चार/2026, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 01/04/2026

प्रति,

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

(2) अध्यक्ष, राजस्व मण्डल,
बिलासपुर

(3) समस्त विभागाध्यक्ष
छत्तीसगढ़

विषय :– वर्ष 2026–2027 के बजट आबंटन की संसूचना

वर्ष 2026–2027 के बजट अनुमान से संबंधित विनियोग विधेयक, 2026 पर माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है। बजट साहित्य विभागों को उपलब्ध कराया गया हैं तथा वित्त विभाग की वेबसाइट https://finance.cg.gov.in पर भी उपलब्ध है। अब बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को निम्नानुसार तत्काल **बजट आबंटन** जारी किया जाए :–

1.1 वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 166/एल 2–2/2012/ब–4/चार, दिनांक 15.05.2012 (वित्त निर्देश क्रमांक 30/2012) द्वारा शासकीय व्यय में गुणवत्ता के उद्देश्य से Cash Management System लागू करने बाबत् निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें वित्तीय वर्ष में व्यय की सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई है –

क्र	तिमाही	प्रतिशत	छमाही	प्रतिशत
1	प्रथम तिमाही	25 %	प्रथम छमाही	40 %
2	द्वितीय तिमाही	15 %		
3	तृतीय तिमाही	25 %	द्वितीय छमाही	60 %
4	चतुर्थ तिमाही	35 %		

1.2 वित्तीय वर्ष के अंतिम माह अर्थात मार्च में व्यय की अधिकतम सीमा कुल बजट प्रावधान का 15 प्रतिशत तक होगी। मार्च माह में विभागों द्वारा क्रय के प्रस्ताव पर (अपवाद स्वरूप परिस्थितियों को छोड़कर) वित्त विभाग द्वारा सहमति नही दी जायेगी। किसी भी स्थिति में वित्त वर्ष के अंतिम माह में किसी भी योजना का 15 प्रतिशत से अधिक आबंटन (केन्द्रीय योजनाओं की राशि मार्च माह में प्राप्त होने वाले प्रकरणों को छोड़कर) बिना वित्त विभाग के सहमति के जारी अथवा आहरण नहीं किया जाए।

1.3 उपर्युक्त सीमा उद्देश्य शीर्ष #01–वेतन भत्ते, #02–मजदूरी, #04–कार्यालय व्यय के विस्तृत शीर्ष 001–डाक तार पर व्यय, 002–दूरभाष पर व्यय, 005–बिजली एवं जल प्रभार, #07–कार्यभारित/आकस्मिकता स्थापना, #12–पेंशन एवं हितलाभ, #15–डिक्री धन का भुगतान (भारित) एवं #34–वाहन क्रय; केन्द्र प्रवर्तित, केन्द्र क्षेत्रीय, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं तथा अतिरिक्त/विशेष केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं के केन्द्रांश एवं राज्यांश पर; तथा योजना शीर्ष–7493 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना पर लागू नहीं होगी।

1.4 निर्धारित व्यय सीमा प्रत्येक बजट नियंत्रक अधिकारी के लिए अलग–अलग होगी। कंडिका 1.3 की मदों को छोड़कर मुख्य सर्वर पर इस हेतु नियंत्रण (Check) रहेगा। बजट नियंत्रक अधिकारी द्वारा बजट आबंटन की सर्वर में प्रविष्टि प्रत्येक तिमाही के स्थान पर केवल प्रथम छःमाही में 25 अप्रैल तक तथा द्वितीय छःमाही में 25 अक्टूबर तक, दो किश्तो में की जाएगी। जिला कार्यालयों द्वारा पुनर्आबंटन की कार्यवाही सर्वर में दिनांक 30 अप्रैल/31 अक्टूबर तक अनिवार्यतः कर ली जाए, तत्पश्चात सर्वर स्वतः लॉक हो जायेगा।

1.5 व्यय की सीमा तिमाही के लिए होगी तथा इसकी मॉनिटरिंग तिमाही आधार पर की जायेगी। उपर्युक्त कंडिकाओं में आवश्यकता अनुसार संचालक बजट की अनुमति से शिथिलता दी जा सकेगी।

1.6 मांग संख्या 15, 41, 42, 53, 64, 68, 82 एवं 83 के अधीन प्रावधानित राशि का आबंटन आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा इस ज्ञापन में निर्धारित शर्तो के अधीन दिया जाएगा। स्थापना अनुदान एवं अशासकीय संस्थाओं को दिये जाने वाले अनुदान कंडिका 1.1 अनुसार छःमाही आधार पर दिये जो सकेंगे।

2/ बजट आबंटन के विरूद्व व्यय, वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन पुस्तिका के भाग 'एक' एवं 'दो' में दिए गए अधिकारों के अंतर्गत किये जाए। जिन प्रकरणों में वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजित नही किये है, वित्त विभाग की पूर्व सहमति अवश्य प्राप्त कर ली जाए। बजट आबंटन के उपयोग हेतु निम्नानुसार बिन्दुओं को ध्यान रखा जाए :–

2.1 किसी भी स्थिति में अतिरिक्त आबंटन की प्रत्याशा में बजट आबंटन से अधिक व्यय नहीं किया जाएगा।

2.2 "अपरीक्षित नवीन मद" के प्रकरणों में स्थायी वित्त निर्देश 15/2025 तथा "परीक्षित नवीन मद" के प्रकरणों में स्थायी वित्त निर्देश 19/2025 अनुसार प्रशासकीय विभाग को प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकार के अनुसार कार्यवाही की जाए।

2.3 संस्थागत वित्तीय संस्थाओं/नाबार्ड पोषित योजनाओं में व्यय उपरांत प्रतिपूर्ति योग्य राशि के दावे तत्काल एवं नियमित रूप से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्रेषित किए जाएंगे, ताकि राज्य के वित्तीय संसाधनों पर दबाव की स्थिति निर्मित न हो। प्रतिपूर्ति 2 माह के अंदर सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित विभागाध्यक्ष की होगी।

2.4 जिन मदों में संस्थागत वित्तीय संस्थाओं अथवा भारत सरकार (जैसे–केन्द्र क्षेत्रीय योजना, केन्द्र प्रवर्तित योजना, वित्त आयोग अनुदान इत्यादि) से प्राप्त होने की प्रत्याशा में बजट प्रावधान रखे गये है, राज्य शासन को सहायता राशि/स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही व्यय की जाएगी। ऐसे प्रकरणों में वित्त निर्देश 26/2024 एवं 31/2024 अनुसार कार्यवाही की जाए।

2.5 निर्माण कार्य विभागों के बजट में "डिपॉजिट मद" में रखी गई राशि का आबंटन, व्यय एवं वर्षान्त से पूर्व समायोजन, वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

2.6 ऐसी राज्य योजनाएं जिसमें विभाग/अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा बैंक खातों के माध्यम से भुगतान किया जाता है, उनमें राज्य एसएनए मॉडल के पालन हेतु स्थायी वित्त निर्देश 36/2026 अनुसार कार्यवाही की जाए।

2.7 वित्त वर्ष के अंत में बैंक खातों का मिलान स्थायी वित्त निर्देश 06/2024 अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

2.8 के–डिपाजिट/व्यक्तिगत जमा खाता में जमा राशि का आगामी तीन माह में उपयोगिता सुनिश्चित करते हुए अवशेष राशि राज्य की संचित निधि में जमा की जाए।

2.9 राज्य शासन द्वारा ऋण (मुख्य शीर्ष 6000 से 7998 तक–शासकीय सेवकों को दिए जाने वाले अग्रिम को छोड़कर) देने से संबंधित प्रकरणों में वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति (ऋण की शर्ते, ब्याज की दर, भुगतान की अवधि, मोरेटोरियम की अवधि इत्यादि सहित) अनिवार्य है। विभागाध्यक्ष इसके लेखे व वसूली की पंजी संधारित करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

2.10 जिन प्रकरणों में अनुदान राशि के प्रावधान का आधार राजस्व की प्राप्ति से संबंधित हो, उनमें अनुदान के विमुक्तिकरण से पूर्व सक्षम अधिकारी से राजस्व प्राप्ति की पुष्टि करा ली जाए। ऐसे प्रकरणों में संबंधित विभाग/विभागाध्यक्ष महालेखाकार से

पिछले वित्तीय वर्ष में संबंधित मद में राजस्व प्राप्ति की पुष्टि करा लेने के पश्चात ही वित्त विभाग की सहमति से स्वीकृति जारी करेगा।

2.11 जिन विभागों को पंचायत एवं नगरीय संस्थाओं को अनुदान स्वीकृत करने हेतु आबंटन सौंपे जा रहे हैं। उन प्रकरणों में पंचायत/नगरीय निकायों के माध्यम से कराए जाने वाले कार्यो के लिए उन्हें आबंटन आदि समय पर देने का दायित्व संबंधित विभाग का होगा।

2.12 व्यय करते समय शासन के मितव्ययता संबंधी समय–समय पर जारी आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाए।

3/ मैदानी कार्यालयों में आबंटन की संसूचना प्राप्त होने में विलंब को देखते हुए आबंटन की प्रत्याशा में 1 अप्रैल, 2026 से वेतन, मजदूरी तथा अन्य अत्यावश्यक व्यय के देयकों को, जिसमें आबंटन प्राप्त होना सुनिश्चित हो, पारित किया जाए। "दिनांक 30 अप्रैल, 2026 तक आबंटन प्राप्त करने की जिम्मेदारी आहरण एवं सवितरण अधिकारी की होगी" इस आशय का प्रमाण पत्र कोषालय/उप कोषालय द्वारा प्राप्त कर लिया जाए।

4/ कृपया उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप बजट में प्रावधानित राशि का आबंटन सुनिश्चित कराएं।

(मुकेश कुमार बंसल)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग

पृ. क्रमांक 3179/संसा/ब–4/चार/2026, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 01/04/2026

प्रतिलिपि–

1. राज्यपाल के सचिव, लोकभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा, रायपुर
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, अटल नगर
4. रजिस्ट्रार जनरल, महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, मानव अधिकार आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, बलोदाबाजार रोड, जीरो प्वाइंट, रायपुर
8. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय
9. सचिव, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय

10. विशेष सचिव, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय
11. विशेष सचिव सह संचालक बजट, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय
12. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़
13. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर
14. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
15. राज्य सूचना आयुक्त, सेक्टर–19, नार्थ ब्लाक, नवा रायपुर
16. समस्त संयुक्त, उप सचिव/अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय
17. संचालक, कोष एवं लेखा, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर
18. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय
19. समस्त जिलाध्यक्ष, छत्तीसगढ़
20. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, छत्तीसगढ़
21. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय /इंद्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
22. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़
23. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, नवा रायपुर अटल नगर
24. संयुक्त लेखा नियंत्रक, पी.एफ.एम.एस., एसपीएमयू, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर
25. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नवा रायपुर अटल नगर को वित्त विभाग की वेबसाईट www.finance.cg.nic.in में अपलोड करने हेतु
26. राज्य सूचना अधिकारी, एन. आई. सी. मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को राज्य शासन की वेबसाईट में अपलोड करने हेतु

(चन्द्र प्रकाश पाण्डेय)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग